(61)

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 10रु.

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 20रु.

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि.उ. / 3496 / II -15

प्र.क्रं. / 2015 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 28-10-15 को प्रस्तुत
28-10-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
28-10-15 एडवोकेट
ग्वालियर

1. तनगू पुत्र रामावतार कुशवाह
2. गुरूदयाल पुत्र रामावतार कुशवाह
निवासीगण ग्राम ओडगडी तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

रामलाल पुत्र सुखलाल साहू
निवासी ग्राम ओडगड़ी तह. देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त बरगंवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली द्वारा मामला क्रं. 19/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.6.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदक रामलाल ने ग्राम ओडगडी में स्थित भूमि खनं. 354/1/2 रकवा 0.15 हे. व ख.नं. 355/2/1 रकवा 0.86 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने बावत राजस्व निरीक्षक वृत्त वरंगवा तहसील देवसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। हल्का पटवारी के साथ दिनांक 18.5.2015 को सीमांकन कर राजस्व निरीक्षक वृत्त बरगंवा द्वारा उक्त सीमांकन प्रतिवेदन की स्वयं के द्वारा आदेश दिनांक 5.6.2015 द्वारा पुष्टि की। अतएव आदेश दि. 5.6.2015 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है–

XXIX(a)-BR(H)-11

(61)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3496-दो/15 **जिला** - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 19/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	